न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 121/2018 **दायरा दिनांक : 11.07.2018**

उनवान

1— हजारीलाल पुत्र रतनलाल, जाति मीणा, निवासी पटपड़ा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— बंशीलाल पुत्र रतनलाल, जाति मीणा, निवासी पटपड़ा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— मांगीलाल पुत्र रतनलाल, जाति मीणा, निवासी पटपड़ा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4— कालूलाल पुत्र रतनलाल, जाति मीणा, निवासी पटपड़ा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— देवलाल पुत्र हीरालाल, जाति मीना, निवासी पटपड़ा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— रामप्रताप पुत्र रामकरण, जाति मीणा, निवासी पटपड़ा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— प्रहलाद पुत्र रामकरण, जाति मीणा, निवासी पटपड़ा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4— नवल पुत्र रामकरण, जाति मीणा, निवासी पटपड़ा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5— केदार बाई पुत्री रामकरण पत्नी राधेश्याम, जाति मीणा, निवासी रामपुरियां बडोद, जिला कोटा

6— उर्मिला पुत्री रामकरण, पत्नी राजेन्द्र, जाति मीणा, निवासी तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

7— रामकरण पुत्र चन्दा लाल, जाति मीणा, निवासी बीजावता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

8— भैरू लाल पुत्र देवलाल, जाति मीणा, निवासी पटपड़ा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

9— पप्पू लाल पुत्र देवलाल, जाति मीणा, निवासी पटपड़ा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

10— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बी एल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 13.01.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या — 5/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.06.2018 को अगली तारीख पेश 13.08.2018 साक्ष्य वादी में दे दी थी किन्तु आदेंशिका में तारीख काटकर 11.06.2018 कर दी गई । जिसकी अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई तथा केम्प तिसाया में आपसी सहमति लिखकर राजीनामा कर दिया गया व डिक्री पारित कर दी गई तथा कुल आराजी 7.63 हेक्टर थी जिसमें सभी का 1/2 हिस्सा होना

था किन्तु अपीलांट को कम भूमि दी गई । मात्र 3.55 हेक्टर दी गई तथा प्रतिवादी को 4.08 हेक्टर भूमि दे दी गई, इस प्रकार अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई । पक्षकारान के मध्य इसी आराजी को लेकर एक वाद पूर्व में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 2 बारां में जैरकार था जिसमें दिनांक 09.09.2017 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां पर राजीनामा हुआ था जिसमें देवीलाल के हिस्से 24 बीघा 6 बिस्वा व हजारी लाल के हिस्से में 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि रहेगी, का राजीनामा हुआ था तथा खसरा नम्बर 344 रकबा 0.58 हेक्टर में से 0.10 हेक्टर भूमि देवलाल प्रतिवादी, वादीगण हजारी लाल वगैरहा को भौतिक कब्जा संभलाकर अलग से देगा । इसके आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने डिक्री बनायी । यह डिक्री भी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी । पक्षकारान जाति से मीना है जो अनुसूचित जनजाति की परिभाषा में आते हैं । रेस्पोडेंट चीता बाई पुत्री हीरालाल मीणा जो हीरालाल की पुत्री थी जिसके नाम नामान्तरकरण खुलकर भूमि दर्ज हो गयी थी, तथा उसने अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र से ट्रान्सफर कर दिया था, उसको निरस्त करवाने के बाद वाद पेश किया हुआ था । माननीय न्यायालय ने पूर्व में अपने निर्णय दिनांक 25.10.2016 में अपील संख्या 109/2014 में यह स्पष्ट माना है कि मीना जाति में महिलाओं का कोई हक नहीं होता है और छल पूर्वक चीता बाई का नाम दर्ज हुआ है । इस कारण 25.10.2016 को अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर 225 आर टी ए रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति एवं रहन, बेचान न करने के लिए पाबन्द किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में राजस्व मण्डल के नियम 11 से 18 की पालना नहीं की है तथा सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं करवाये हैं, जो आवश्यक हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । मीणा जाति के सम्बन्ध में हिन्दू उत्तराधिकार नियम की तर्क संगत विवेचना करते हुए दोनों पक्षों को पुनः सुनवायी का समुचित अवसर देते हुए, अधीनस्थ न्यायालय तर्क संगत निर्णय पारित करें । अतः अपील को स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर तर्क संगत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.04.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा